

क्रमांक249 / यांत्रिकी / पविनि / 19
प्रति,

दिनांक 11 / 07 / 2019

प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश माध्यम
40 प्रशासनिक क्षेत्र
अरेरा हिल्स
भोपाल ।

विषय:- कुटेशन सूचना 137 के प्रकाशन बाबत।

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास, भोपाल द्वारा 01 नया बुलेरो, जेड.एफ.एक्स. डीजल (टोप मॉडल) वाहन हेतु कुटेशन सूचना संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया इसका प्रकाशन न्यूनतम आकार में राज्य स्तरीय किन्ही दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना चाहेंगे, जो ग्वालियर क्षेत्र में पहुँचता हो।

कृपया जिन समाचार पत्रों में निविदा सूचना का प्रकाशन हो उन समाचार पत्रों की प्रतियां कार्यालय रिकार्ड हेतु भिजवाने का कष्ट करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

पृ. क्रमांक / यांत्रिकी / पविनि / 18
प्रतिलिपी:-

कार्यपालन यंत्री
दिनांक / 07 / 2018

1. प्रबंध निदेशक, म.प्र. रा.प.वि.नि.लि., भोपाल को सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, म.प्र. रा.प.वि.नि.लि., भोपाल को सूचनार्थ।
3. प्रबंधक (आई.टी.), निगम मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचना को निगम पोर्टल www.mpstdc.com पर अपलोड करने बाबत।
4. नोटिस बोर्ड निगम मुख्यालय, भोपाल।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

कार्यपालन यंत्री

वाहन किराये पर लेने हेतु कोटेशन नोटिस 137

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा निगम के कार्यों के लिये कार्यपालन यंत्री, ग्वालियर हेतु 01 बुलेरो, जेड.एफ.एक्स. डीजल (टोप मॉडल) नया वाहन टैक्सी कोटे से मासिक किराये पर लेने हेतु प्रदायकर्ताओं को सूचित किया जाता है, कि 01 बुलेरो जेड.एफ.एक्स. डीजल (टोप मॉडल) नया टैक्सी वाहन किराये पर देने हेतु अपनी दरे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय निगम मुख्यालय पर्यटन भवन भदभदा रोड़ भोपाल में दिनांक 23/07/2019 तक अपराह्न 03:00 बजे तक प्रस्तुत करे। इसके बाद प्राप्त कुटेशन दरों को सम्मिलित नहीं किया जावेगा तथा डाक में देरी की जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी। प्राप्त कुटेशन उसी दिन अपराह्न 04:00 बजे उपस्थित पार्टियों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निगम मुख्यालय में खोले जावेंगे।

कुटेशन प्रपत्र एवं शर्ते निगम की वेबसाईड www.mpstdc.com से अथवा निगम मुख्यालय के यांत्रिकी शाखा से दिनांक 22/07/2019 शाम 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

कार्यपालन यंत्री

कोटेशन प्रपत्र एवं शर्तें
(वाहन किराये पर लेने हेतु)

1.	पार्टी का नाम एवं पूरा पता फोन न.	
2.	आयकर पेन न.	
3.	जी.एस.टी. टेक्स न.	
4.	फर्म अगर पंजीकृत है तब पूर्ण विवरण	
5.	अनुभव	
6.	किराये पर दिये जाने वाले वाहन का पूर्ण विवरण	
a.	वाहन किस कंपनी का है	
b.	वाहन का पंजीयन क्रमांक	
c.	वाहन क्रय करने की तिथि	
d.	वाहन की वर्तमान रीडिंग	
e.	वाहन किस नाम से पंजीकृत है उसका पूर्ण विवरण (छायाप्रति संलग्न करे)	
7.	वाहन का किराया प्रतिमाह रूपये (सभी करो सहित) (3500 कि.मी. प्रतिमाह चलने तक)	
8.	अन्य विवरण जो देना चाहे	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दी गई समस्त जानकारी सत्य है एवं निगम द्वारा जारी की गई सभी शर्तें मुझे मान्य है।

भवदीय

पार्टी का नाम

वाहन किराये पर लेने हेतु शर्तें

1. किराये पर दिया जाने वाला वाहन नया होना चाहिये, दो माह से अधिक पुराना क्रय किया हुआ न हो तथा टेक्सी कोटे से रजिस्टर्ड होना चाहिये। वाहन किसी प्रकार से दुर्घटना ग्रस्त नहीं होना चाहिये।
2. पावर स्टीरिंग युक्त वातानुकूलित बुलेरो वाहन की आवश्यकता है।
3. 01 नग वाहन किराये पर लेने की संभावना है तथा वाहन 02 वर्ष की समयावधि हेतु लिये जावेंगे।
4. वाहन का चालन निगम द्वारा नियुक्त वाहन चालक द्वारा किया जावेगा।
5. वाहन में आइल/डीजल/कुलेन्ट निगम द्वारा दिया जावेगा।
6. वाहन की मरम्मत, टायर, ट्यूब बदलने का कार्य अन्य आवश्यक सुधार कार्य वाहन प्रदायकर्ता द्वारा कराया जावेगा।
7. वाहन प्रतिमाह लगभग 3000 से 3500 कि .मी . चलने की संभावना है।
8. वाहन किराये अवधि तक निगम अधिकारी के पास ही रहेगा। अनुबंध अवधि समाप्त होने पर दोनो पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
9. वाहन का किराया संबंधित अधिकारी द्वारा प्रतिमाह 05 तारीख तक किया जावेगा तथा नियमानुसार करो की कटौती की जावेगी।
10. वाहन का बीमा, रोड टेक्स एवं वाहन से संबंधित अन्य टेक्सों का भुगतान प्रदायकर्ता द्वारा ही किया जावेगा तथा टोल टेक्स व अन्य राज्य में जाने के टेक्स का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा।
11. धरोहर धनराशि रू. 5000/- म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के नाम देय एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जावेगी। न्यूनतम कोटेशन पर वाहन प्रदाय न करने पर जमा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा जिन के दर मान्य नहीं होंगे, उन्हें उनकी जमा राशि वापिस कर दी जावेगी।